

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

दीपक कुमार बनाम शंकर लाल

किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 218/2023

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

26/06/23

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज-
रजिस्टर ही।

प्रार्थी श्री / श्रीमती दीपक कुमार

पिता श्री गोवर्धन लाल मुशेडिया

निवासी- भारती जी पाण्डोली

पाण्डोली (तह. चित्तौड़गढ़)

तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम
स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 2091 2092
0.3700 0.0300

कुल कीता 2 कुल रकबा 0.4000 है0 की पत्थरगढी
कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज
रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम पाण्डोली (तह. चित्तौड़गढ़) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी
नम्बर 2091, 2092
0.3700, 0.0300

कुल कीता 2 रकबा 0.4000 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी
किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जा रहे हैं। पत्थरगढी का
खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500-00 रुपये अक्षरे पांच सौ ल्यार
प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर
पेश हो।

(रामचन्द्र खटीका)
सहायक कलेक्टर का
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़